अध्याय-7 :
मानव संसाधन प्रबन्धन एवं आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली

अध्याय-7 : मानव संसाधन प्रबन्धन एवं आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली

7.1 मानव संसाधन प्रबन्धन

♦ मानव शक्ति की उपलब्धता

नमूना-जांच के लिए चयनित विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए जिले में मानव शक्ति की उपलब्धता निम्न **तालिका-35** में दी गई है:

तालिका-35

31 मार्च 2012 को मानव संसाधन की स्थिति

(संख्या में)

क्रम संख्या	कार्यकर्त्ता/ विभाग का नाम	संस्वीकृत पद	कार्यरत व्यक्ति	रिक्ति (प्रतिशतता)
1.	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	24	14	10 (42)
2.	शिक्षा	1561	1139	422 (27)
3.	स्वास्थ्य	540	262	278 (51)
4.	कल्याण	24	17	7 (29)
5.	एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना	12	10	2 (17)
6.	उपायुक्त	139	98	41 (29)
7.	पुलिस	411	380	31 (08)

स्रोत: सम्बन्धित विभागों द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना।

उपरोक्त विवरण से यह देखा जा सकता है कि मानव शक्ति की कमी आठ से लेकर 51 *प्रतिशत* तक थी। स्वास्थ्य विभाग में मानव शक्ति की कमी 50 *प्रतिशत* से अधिक थी। विशेष रूप से स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभागों में अपर्याप्त मानव शक्ति संसाधनों से स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तथा शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना अवश्यम्भावी है। सम्बन्धित विभागों ने बताया (मई-नवम्बर 2012) कि सरकार द्वारा कर्मचारियों की भर्ती न किए जाने तथा सेवानिवृत्तियों के कारण कर्मचारियों की कमी थी।

♦ क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण

क्षमता निर्माण उपलब्ध मानव शक्ति के कौशल एवं ज्ञान को निरंतर उन्नयन करने योग्य बनाता है। राज्य की प्रशिक्षण नीति 2009 के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को (समूह I से IV) कौशल विकास के लिए आरम्भिक समय में तथा पांच वर्ष में कम से कम एक बार अथवा पदोन्नति से पूर्व से बेहतर सेवाएं देने के लिए प्रशिक्षण से गुजरना आवश्यक है। यह देखा गया कि जिला प्रशासन ने सेवाकालीन प्रशिक्षण देने के लिए कोई प्रणाली विकसित नहीं की थी जैसा नमूना-जांचित इकाइयों में लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान पता लगा।

एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के परियोजना अधिकारियों, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया (मई-जुलाई 2012) कि इन-हाऊस प्रशिक्षण देने के लिए कोई लक्ष्य नहीं थे। तथापि, विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों को हिमाचल लोक प्रशासन संस्थान में प्रशिक्षण दिया गया था। तथापि, तथ्य यह है कि जिला स्तर के कर्मचारियों को इन-हाऊस प्रशिक्षण देने हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए थे।

7.2 निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण

विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना, विकास में जन सहयोग तथा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निष्पादित किए जा रहे कार्यों का विभिन्न स्तरों पर नियमित अनुश्रवण करने तथा प्रभावशाली पर्यवेक्षण करने की आवश्यता है जैसा कि निम्न **तालिका-36** में दर्शाया गया है:

तालिका-36

विभिन्न स्तरों पर कार्यों/ परियोजनाओं के किए जाने वाले निरीक्षणों की प्रतिशतता

निर्दिष्ट अधिकारी	किए जाने वाले निरीक्षण की प्रतिशतता
खण्ड विकास अधिकारी/ कनिष्ठ अभियन्ता	100
जिला योजना अधिकारी (परियोजना अधिकारी, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना)	15
उप-मण्डलीय अधिकारी	10
अतिरिक्त उपायुक्त/ अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी	5
उपायुक्त	4
राज्य योजना विभाग से कर्मचारी	1

लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि कार्यों की प्रगति का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण लगभग अस्तित्वहीन था तथा कई कार्य पूर्णता की अनुबद्ध अवधि के बाद अपूर्ण रहे जैसा कि 5.2.1 से 5.2.3 परिच्छेदों में दर्शाया गया है। साथ ही 2007-12 के दौरान कार्यों के निरीक्षण से सम्बन्धित कोई अभिलेख एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के परियोजना अधिकारी के पास उपलब्ध नहीं थे।

परियोजना अधिकारी, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना ने बताया (सितम्बर 2012) कि निरीक्षण नियमित रूप से संचालित किए जा रहे थे लेकिन कोई निरीक्षण टिप्पणियां पृथक रूप से जारी/ अनुरक्षित नहीं की गई थी। तथापि, तथ्य यह है कि किसी अभिलेख के अभाव में, कार्यों के निष्पादन की पारदर्शिता एवं अनुवर्ती कार्रवाई के मामले का समाधान नहीं किया गया।

अन्तिम सम्मेलन में सहायक आयुक्त ने बताया (नवम्बर 2012) कि जिले में बड़ी संख्या में किए जा रहे कार्यों को ध्यान में रखते हुए इन कार्यों का निर्धारित अनुश्रवण/ निरीक्षण पूर्ण करना बहुत कठिन था।

♦ नागरिक अधिपत्र

चयनित विभागों में कर्त्तव्यों एवं सेवा स्तरों के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए नागरिक अधिपत्र प्रदर्शित पाया गया था।

♦ सूचना का अधिकार अधिनियम

2007-12 के दौरान पांच अभिकरणों/ विभागों द्वारा प्राप्त किए गए सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत दस्तावेज/ सूचना की मांग करने वाले 274 आवेदनों[1], की लेखापरीक्षा में नमूना-जांच की गई थी। सभी आवेदनों का निपटान किया जाना पाया गया था।

---

1 जिला ग्रामीण विकास अभिकरण: 19; शिक्षा: 187; स्वास्थ्य: 50; कल्याण: 10 तथा एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना: आठ

♦ शिकायत निवारण

राज्य सरकार ने जिला स्तर पर नीति निर्माताओं तथा लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र स्थापित किया है। शिकायत कक्ष उपायुक्त कार्यालय में स्टॉफ सहित स्थापित किया गया है जो दो तरह की शिकायतों जो (क) राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा राज्य मंत्रियों तथा (ख) सामान्य जनता के माध्यम से प्राप्त होती है, की पूर्ति करता है। राज्य सरकार द्वारा वर्ग "क" की शिकायतों का निवारण करने के लिए विनिर्दिष्ट समय सीमा एक महीना है तथा वर्ग "ख" की शिकायतों के लिए डेढ़ महीना है। उपायुक्त कार्यालय ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री व राज्य मंत्रियों तथा सामान्य जनता से प्राप्त शिकायतों का अलग अभिलेख अनुरक्षित नहीं किया था। उपायुक्त कार्यालय द्वारा यथा प्रतिवेदित गत पांच वर्षों (मार्च 2012 तक) के दौरान प्राप्त शिकायतों तथा जिनका निवारण किया गया, की संख्या की स्थिति नीचे **तालिका- 37** में दर्शाई गई है:

तालिका-37

2007-12 के दौरान प्राप्त शिकायतों एवं जिनका निवारण किया गया, की संख्या की स्थिति

शिकायतें	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
प्राप्त की गई	96	114	97	32	115
निवारण की गई	96	114	97	29	92

शिकायतों को कक्ष द्वारा सम्बन्धित लाइन विभागों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भेजा जाता है तथा इसकी एक प्रति शिकायतकर्त्ता को भी भेजी जाती है। जब शिकायत/ शिकायतों पर कार्रवाई की जाती है, लाइन विभाग कक्ष को सूचित करता है जो आगे शिकायतकर्त्ता को सूचित करता है।

उपायुक्त ने बताया (सितम्बर 2012) कि विभिन्न विभागों से सम्बन्धित लम्बित मामलों के लिए उनके निपटान हेतु उनको अनुस्मारक जारी किए जा रहे हैं। यह भी देखा गया कि सतर्कता तंत्र केवल उपायुक्त कार्यालय में विद्यमान था तथा अन्य नमूना-जांचित इकाइयों में ऐसा तंत्र स्थापित नहीं पाया गया था।

7.3 अनुश्रवण तंत्र

जनजातीय उप-योजना तथा अन्य सम्बन्धित कल्याण स्कीमों के कार्यान्वयन के निरीक्षण करने के लिए राज्य सरकार ने क्षेत्र के विधायक की अध्यक्षता में एक परियोजना सलाहकार समिति का गठन किया है। उपायुक्त तथा परियोजना अधिकारी, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना क्रमश: सदस्य एवं सदस्य सचिव है तथा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद भी बैठकों में विशेष अतिथि के रूप में भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों में से छ: अन्य गैर-सरकारी सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। समिति को तिमाही आधार पर बैठक करना आवश्यक है। यह देखा गया कि 2007-12 के दौरान अपेक्षित 20 बैठकों के प्रति 14 बैठकें ही हुई। अत: समिति द्वारा अनुश्रवण उपरोक्त सीमा तक अपर्याप्त था। साथ ही विकासात्मक कार्यों का अनुश्रवण प्रभावी नहीं था क्योंकि कई विकासात्मक कार्य अपूर्ण पड़े थे तथा अपनी पूर्णता की समय सीमा से पिछड़ रहे थे जैसा कि 5.2 तथा 4.6 परिच्छेदों में दर्शाया गया है।

उपरोक्त से यह अवलोकित किया गया कि जिले में स्थानीय प्रशासन के सभी स्तरों पर विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन की प्रगति का अनुश्रवण तथा पर्यवेक्षण औपचारिक था जिससे विभिन्न विभागों/ कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा किए जा रहे विकासात्मक कार्यों/ परियोजनाओं की प्रगति प्रभावित हुई। फलस्वरूप, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में कई कार्य अत्यधिक रूप से विलम्बित थे जिससे अभिप्रेत लाभों से जनता को वंचित रहना पड़ा।

सिफारिश

- *सरकार अनुश्रवण, निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण को स्थानीय प्रशासन के सभी स्तरों पर सुदृढ़ीकरण किए जाने पर विचार करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यक्रमों को समय पर तथा अनुमानित लागत के अन्दर निष्पादित किया जा सके।*